न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झाडोल जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— श्री कपिल कुमार कोठारी, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 01 / 2021

तारीख दायरः— 02.03.2021
तारीख निर्णयः—28.04.2025

1. श्री भेरा पिता नीमा पटेल निवासी तुरगढ तहसील फलासिया।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार झाडोल।

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.रा.अधि. 1956

उपस्थित— प्रार्थीगण की ओर से— श्री शिवनारायण पुरोहित

अप्रार्थी की ओर से— अप्रार्थी स्वयं

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा तुरगढ पटवार हल्का आमीवाडा तहसील फलासिया में प्रार्थी के खातेदारी की आराजी नम्बर 100 रकबा 0.0400 है0 भूमि स्थित है, जिसमें प्रार्थी का नाम नैरा पिता नीमा डांगी दर्ज हो गया है, जो गलत अंकित हो गया है। प्रार्थी के अन्य खातेदारी जमीन व राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक पासबुक, आधारकार्ड, पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम भेरा पिता नीमा डांगी दर्ज है। प्रार्थी का नाम शुरू से ही भेरा पिता नीमा डांगी के नाम से ही जाना जाता है। प्रार्थी की अन्य खातेदारी भूमि में भी नाम भेरा पिता नीमा डांगी दर्ज है। इसलिये प्रार्थी उक्ते बाडे की जमीन में नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का नाम नैरा पिता नीमा के स्थान पर भेरा पिता नीमा दर्ज कराये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा प्रकरण में जवाब पेश कर निवेदन किया कि मौजा तुरगढ के मौतबिरानों से पुछताछ में पाया कि नेरा पुत्र नीमा डांगी नाम का कोई व्यक्ति मौजा तुरगढ में नही है। प्रार्थी का वास्तविक भेरा पुत्र नीमा डांगी बताया गया। संलग्न जमाबन्दी एवं दस्तावेजो के मुताबिक मौजा तुरगढ की जमाबन्दी संवत 2077 से 2080 के खाता संख्या 99 में खातेदार का नाम नेरा पुत्र नीमा डांगी के बजाय भेरा पुत्र नीमा डांगी दर्ज किया जाना उचित है। तत्पश्चात प्रकरण में उभय पक्षों की बहस सुनी गई। उभय पक्ष ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये है।

हमने विद्वान उभय पक्ष की बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, प्रार्थी अधिवक्ता की

उपखण्ड अधिकारी
झाडोल, जिला-उदयपुर

बहस एवं अप्रार्थी पेरोकार सरकार के जवाब एवं उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पर साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा तुरगढ पटवार क्षेत्र आमीवाडा भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र कोल्यारी की आराजी नम्बर 100 रकबा 0.0400 है0 भूमि में प्रार्थी का नाम नेरा पिता नीमा डांगी के बजाय भेरा पिता नीमा डांगी दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। एतद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल कुमार कोठारी)
उपखण्ड अधिकारी
झाडोल, उदयपुर